

डिक्री मुकदमा इत्दादाई  
(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)  
ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0



नाथू पुत्र छीतर जाति धोबी निवासी ग्राम दूण्डिया तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादी

**बनाम**

बाबूलाल पुत्र छीतर जाति धोबी निवासी ग्राम दूण्डियां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)  
(कुल कस 03) प्रतिवादीगण

**मुकदमा न0 46 / 2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री कमलेश कुमार गुर्जर एड0 मिनजानिब मुद्ई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01 श्री ईरशाद अहमद खान एड0 व श्री छीतरलाल प्रजापत एड0 मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाकर डिक्री दी जाती है कि ग्राम दूण्डियां, पटवार हल्का नाथडी में स्थित भूमि आराजी ख0न0 724/1 रकबा 0.2530 हैक्ट., ख0न0 723/1 रकबा 0.1201 हैक्ट., ख0न0 729 रकबा 0.1517 हैक्ट., ख0न0 732/1 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 740 रकबा 0.2276 हैक्ट., ख0न0 741/1 रकबा 0.1391 हैक्ट. किता 06 कुल रकबा 1.0053 हैक्ट. वादी नाथू पुत्र छीतर जाति धोबी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 722 रकबा 0.0759 हैक्ट., ख0न0 733 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 732/2 रकबा 0.1138 हैक्ट., ख0न0 723/2 रकबा 0.1202 हैक्ट., ख0न0 724/2 रकबा 0.4425 हैक्ट., ख0न0 741/2 रकबा 0.1391 हैक्ट. कुल किता 06 कुल रकबा 1.0053 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 बाबूलाल पुत्र छीतर जाति धोबी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैक प्रभार यथावत रहेगा।



उप खण्ड अधिकारी  
पीपलू (टोंक)

निजी.....मवलिक.....बाबत.....खर्चा इस  
मुकदममें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी  
तक.....को अदा करे।



बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.10.2025 को जारी की गई।

दस्तख्त.....  
उप खण्ड अधिकारी  
ओहदा.....  
वीपलू (टॉक)

मोहर

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	50	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो  
या नही दर्ज करना चाहिए।